GAIL (INDIA) LIMITED
CORPORATE HR DEPARTMENT

CIRCULAR

No.CO/HR/Pol/W-19 4th April 2014

Sub: GAIL Employees "Superannuation Benefit Fund"

A voluntary and self- Contributory Superannuation Benefit Fund Scheme operated through Superannuation Benefit Fund Trust formed under Indian Trust Act, was introduced in the GAIL w.e.f. 01.07.1988 as a welfare measure for providing social security. The Scheme covered Executives and Non Executives drawing pay in the regular pay scales of the GAIL.

In terms of the pay revision guidelines issued by DPE vide its OM no. 12 (70)/08-DPE (WC) dt. 26.11.2008 and O.M No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-VII/09 dt. 02.04.2009, among others, CPSEs have been allowed to contribute 30% of Basic Pay plus Dearness Allowance of the employees as Superannuation benefits, which would include Contributory Provident Fund (CPF), Gratuity, pension and Post – Superannuation Medical Benefits for employees. The pension as per these guidelines shall be under a "Defined Contribution Scheme" and not under a Defined Benefits Scheme". The pension benefits can be extended to those who superannuate from the CPSE and have put in a minimum of 15 years of service in the CPSE, prior to superannuation.

The trustees of GAIL Employees Superannuation Benefit Fund Trust in its meeting held on 09.05.2013 approved the modalities for conversion of the Superannuation Benefit Fund Scheme from "Defined Benefit" to Defined Contribution" Scheme w.e.f 01.01.2007 and recommended the same to the Management.

Board of Directors in the 311th meeting held on 15.06.2013 has accorded approval to the proposal to implement the DPE guidelines on employee superannuation benefits. Board has also approved that the existing Superannuation Benefit Fund with "defined benefits' be superseded by a 'defined contribution scheme' we.f.01.01.2007.

The Defined Contribution shall be known as **GAIL Employees "Superannuation Benefit Fund" and shall be governed by the following terms and conditions:**

1. Applicability

The scheme shall apply to all Regular Employees of GAIL drawing pay in the regular scales of pay which includes employees who were on roll as on 01.01.2007 and new entrants joining on or after 01.01.2007. This shall include Chairman & Managing Director and Director(s) who is / are a whole time bonafide employee of the Company. Employee will exclude deputationists till the date of absorption and Ad-hoc employees.

2. Salary

Salary for the purpose of the contribution shall comprise Basic pay including PP (Stagnation) and Dearness allowance.

3.0 Contributions

3.1 Company Contributions

3.1.1 GAIL's contribution (rounded off to nearest rupee) in the "**GAIL Employees Superannuation Benefit Fund – Defined Contribution Scheme"** would come out of 30% of salary actually paid after adjusting the contribution made towards Provident Fund, Gratuity Fund, Post-Retirement Medical Fund. The contribution rate to the superannuation Benefit Fund may vary on year to year basis depending on actuarial valuation of Gratuity Fund and Post-retirement Medical Fund. This would be however, subject to maximum limit prescribed under Income Tax Rules.

3.1.2 The percentage of GAIL's contribution during a financial year would be provisionally maintained as per the rate applicable for previous financial year, which shall be finalized after the close of the previous year. The difference between the two rates, if any, paid would be adjusted accordingly.

3.1.3 In case of employees superannuating in between a financial year, the applicable rate of company's contribution for that financial year till the date of superannuation shall be the last applicable rate. This rate shall be final and not be subject to review thereafter.

3.1.4 Contribution over and above exemption limit prescribed under Income Tax Act would be taxable in the hands of employees as perquisite. TDS, wherever applicable, will be deducted from monthly salary of employees.

3.1.5 Individual accounts under SBF Scheme will be maintained for each employee for the period of Defined Contribution Scheme w.e.f 01.01.2007.

3.2 Employee's contribution

Each employee shall contribute to the fund (irrespective of age) an amount @ Rs 100/- per annum and such contribution shall be made to the fund in the month of July every year.

4 Interest on contribution

Interest on contribution under Defined Contribution Scheme shall be credited to the individual account of each employee at the end of each year, which shall be compounded on monthly basis.

5 Computation of Benefit

5.1 Benefits shall be admissible to employees who superannuates from the CPSE after putting in a minimum of 15 years of continuous service. Employees who with the consent of the Company opt to retire voluntarily from the service of the company on attaining age of 55 years and those who have attained the age of 50 years and is prematurely retired considering to be medically unfit under General Terms & Conditions of Employment will also be admissible for the benefits under the scheme.

5.1.1. <u>For reckonable service up to 01.01.2007</u>

Cost of pension (discounted on 01.01.2007) calculated by actuary along with interest earned Year on Year basis till the date of superannuation/death/Total Permanent Disablement of the eligible employee will be credited in the individual pension account.

The amount so credited over and above exemption limit prescribed under Income Tax Act would be taxable in the hands of employees as perquisite. TDS, wherever applicable, will be deducted from monthly salary of employees.

5.1.2 For reckonable service after 01.01.2007 onwards

i. Effective from 01.01.2007, the superannuation Benefit Fund has been modified to operate as a "Defined Contribution Scheme". All employees on roll as on that date and employees joining service in the regular scale of pay thereafter would be governed by the modified provisions of the scheme.

ii. Contributions as mentioned in Para 3 above will be credited every month in the individual account of the employee which shall be maintained for each employee of GAIL w.e.f 01.01.2007 and for new employees from the date of joining GAIL.

5.2. At the time of superannuation on completion of minimum continuous service of 15 years the sum of benefits calculated as per para 5.1.1, if applicable & 5.1.2 above shall be paid through purchase of annuity from LIC, after commutation, if opted. The pension will be paid centrally by LIC. Request for payment of pension from different branches of insurance company will not be entertained.

5.3 In case of death or total permanent disablement (TPD) of an employee while in service, Pension benefit as per para 5.2 above will be admissible with immediate effect and the condition of completion of 15 years of service will not apply.

5.4 In case of separation due to resignation on or after 01.01.2007

5.4.1 In case the employee joins a CPSE, the accumulated amount as per Para 5.1.1 & 5.1.2 above shall be transferred if there is a similar scheme, subject to acceptance of the new employer.

5.4.2 Otherwise, employees own contribution only along with interest thereon will be refunded. Cost of pension calculated under the pre revised scheme i.e GAIL Employees Superannuation Benefit Fund Scheme as on 01.01.2007,if any, as referred in Para 5.1.1 above shall however, not be admissible.

5.5 Subject to rule 5.1 & 5.4 above, employees of GAIL deputed to other CPSEs and retaining lien on the post in GAIL may also be permitted to continue as members of the scheme during the period of Deputation/lien, provided the employee contributes the laid down amount to the fund, the

employers contribution at the prescribed rate would be made by the borrowing organization or alternatively by the employee himself.

5.6 A member who is dismissed/ removed from service of GAIL or a member who has abandoned service, will not be entitled to receive benefits under the scheme. However, employee own contribution rendered through his/her salary will be refunded to him/her.

5.7 In case of an employee joining GAIL after 01.01.2007 from another CPSE having a similar Defined Contribution Scheme in operation, transfer of funds from the previous employer would be accepted by GAIL Employees Superannuation Benefit Fund Trust.

5.8 The scheme shall further be governed by DPE guidelines issued in this regard from time to time after obtaining necessary approvals.

6. This issues with the approval of the Competent Authority and comes into effect from 01.01.2007.

7. Hindi version follows.

(Rajeev Singhal)
Executive Director (Law & HR)

Distribution:

1. CMD
2. Director (BD)/ Director (Mktg.)/ Director (Fin.)/ Director (HR)/ Director (Projects)/ CVO
3. HoDs at Corporate Office
4. OICs/ZOICs of Work Centres/Zonal Offices
5. HR and F&A Incharges of Work Centres/Zonal Offices

गेल (इंडिया) लिमिटेड
निगमित मानव संसाधन विभाग
<u>परिपत्र</u>

संख्या : सीओ/एच.आर./पॉल/डब्ल्यू-19 4 अप्रैल, 2014

विषय : गेल कर्मचारी "अधिवर्षिता लाभ निधि"

सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के एक उपाय के तौर पर गेल में दिनांक 01.07.1988 से भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत गठित अधिवर्षिता लाभ निधि न्यास के अधीन एक स्वैच्छिक और स्व-अंशदायी अधिवर्षिता लाभ निधि योजना प्रारंभ की गई थी इस योजना में गेल के नियमित वेतनमान से वेतन आहरित करने वाले कार्यपालक और गैर-कार्यपालक शामिल थे।

डीपीई के कार्यालय ज्ञापन सं. 12(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 26.11.2008 और कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-VII/09 दिनांक 02.04.2009 के द्वारा जारी वेतन संशोधन दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य के साथ-साथ, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को कर्मचारियों के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के साथ 30% को अधिवर्षिता लाभ, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ शामिल हैं, के रूप में अंशदान किए जाने को अनुमत किया गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन एक "परिभाषित लाभ योजना" की बजाय "परिभाषित अंशदान योजना" के अधीन होगी। पेंशन लाभ उनको दिया जा सकेगा जो सीपीएसई से अधिवर्षिता प्राप्त करेंगे और अधिवर्षिता प्राप्त करने से पूर्व सीपीएसई में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे।

गेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि न्यास के न्यासियों ने दिनांक 09.05.2013 को संपन्न बैठक में अधिवर्षिता लाभ निधि योजना को एक "परिभाषित लाभ"से "परिभाषित अंशदान" योजना में दिनांक 01.01.2007 से बदले जाने के तौर-तरीकों का अनुमोदन प्रदान किया है और प्रबंधन को इसकी संस्तुति की है।

निदेशक मण्डल ने दिनांक 15.06.2013 को संपन्न 311वीं बैठक में कर्मचारी अधिवर्षिता लाभों पर डीपीई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। निदेशक मण्डल ने मौजूदा अधिवर्षिता लाभ निधि के साथ "परिभाषित लाभ" को दिनांक 01.01.2007 से "परिभाषित अंशदान योजना" से अधिक्रमित किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया।

परिभाषित अंशदान को **गेल कर्मचारी एक "अधिवार्षिता लाभ निधि" के रूप में जाना जाएगा और यह निम्न निबंधन और शर्तों से परिचालित होगी।**

1. प्रयोजनीयता

यह योजना गेल के सभी नियमित कर्मचारियों जो नियमित वेतनमान से वेतन आहरित करते हैं और जो 01.01.2007 को रोल पर थे तथा 01.01.2007 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले नए प्रवेशकों पर लागू होगी। इसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकगण शामिल होंगे जो कंपनी के पूर्णकालिक वास्तवकि कर्मचारी हैं/है। कर्मचारियों में समावेशन की तारीख तक प्रतिनियुक्त-कर्मचारियों और तदर्थ कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा।

2. वेतन

अंशदान के प्रयोजन हेतु वेतन में पीपी (स्टैगनेशन) सहित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता शामिल होगा।

3.0 अंशदान

3.1 कंपनी का अंशदान

"गेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि-परिभाषित अंशदान योजना" में गेल का अंशदान (नजदीकी रुपये में बदल कर) भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि में किए गए अंशदान के समायोजन के बाद भुगतान किए गए वास्तविक वेतन के 30% में से आएगा। अधिवर्षिता लाभ निधि में अंशदान की दर साल-दर-साल आधार पर अलग-अलग होगी जो ग्रेच्युटी निधि और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होगी। तथापि, यह आयकर नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्तों के अधीन होगी।

3.1.2 वित्त वर्ष के दौरान गेल अंशदान के प्रतिशत को अस्थायी तौर पर पिछले वित्त वर्ष के लिए लागू दरों के अनुसार रखा जाएगा जिसे पिछले वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। दो दरों में अंतर यदि कोई है, को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

3.1.3 यदि कोई कर्मचारी वित्त वर्ष के बीच में अधिवर्षिता प्राप्त करता है तो, उस वित्त वर्ष में कंपनी के अंशदान की दर अधिवर्षिता की तारीख पर लागू अंतिम दर होगी। यह दर अंतिम होगी और इसके बाद इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा।

3.1.4 आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित उपरोक्त छूट सीमा से ऊपर का अंशदान अनुलब्धियों के रूप में कर्मचारियों हेतु कर योग्य होगा। टीडीएस, जो भी इस पर लागू होगा उसे कर्मचारी के मासिक वेतन से काट लिया जाएगा।

3.1.5 एसबीएफ योजना के अंतर्गत 01.01.2007 की प्रभावी तिथि से परिभाषित अंशदान योजना की अवधि में प्रत्येक कर्मचारी के वैयक्तिक खातों का रखरखाव किया जाएगा।

3.2 कर्मचारी का अंशदान

प्रत्येक कर्मचारी प्रति वर्ष रु. 100/- इस निधि में जमा करेंगे (उम्र पर विचार किए बिना) एवं यह राशि प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में इस निधि में जमा की जाएगी।

4. अंशदान पर ब्याज

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ब्याज की राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में जमा की जाएगी जिसे मासिक आधार पर संयोजित जाएगा।

5. लाभ का संयोजन

5.1 न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कर्मचारी जो सीपीएसई से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस लाभ के पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारी जिनके 55 वर्ष पूरे हो चुके हैं एवं कंपनी की अनुमति से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं तथा ऐसे कर्मचारी जिनके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं एवं नियोजन के नियम एवं शर्तों के अंतर्गत चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के कारण पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभों से लाभांवित होंगे।

5.1.1 <u>01.01.2007 तक सेवा की गणना के लिए</u>

बीमांकिक द्वारा पात्र कर्मचारियों की अधिवर्षिता/मृत्यु/पूर्ण स्थायी अयोज्यता की तारीख तक वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर अर्जित ब्याज सहित (दिनांक 01.01.2007 को छूट आधार पर) की गई गणना से प्राप्त पेंशन लागत को उनके वैयक्तिक पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित उपरोक्त छूट सीमा से ऊपर का अंशदान अनुलब्धियों के रूप में कर्मचारियों हेतु कर योग्य होगा। टीडीएस, जो भी इस पर लागू होगा उसे कर्मचारी के मासिक वेतन से काट लिया जाएगा।

5.1.2 01.01.2007 के बाद की सेवा की गणना के लिए

i. 01.01.2007 से प्रभावी अधिवर्षिता लाभ निधि को "परिभाषित अंशदान योजना" के रूप में परिचालित करने हेतु संशोधित किया गया है। आज की तिथि पर सभी कर्मचारी जो रोल पर है उन्हें एवं ऐसे कर्मचारी जिन्होंने नियमित वेतनमान में सेवाग्रहण की है वे इस योजना के संशोधित प्रावधानों द्वारा परिचालित होंगे।

ii उपरोक्त पैरा 3 में उल्लिखित अंशदान कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में प्रति माह जमा किया जाएगा और जिसका रखरखाव 01.01.2007 की प्रभावी तिथि से प्रत्येक गेल कर्मचारी हेतु एवं गेल में कार्यभार ग्रहण करने वाले नए कर्मचारी हेतु किया जाएगा।

5.2 न्यूनतम 15 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के उपरांत अधिवर्षिता के समय में कुल लाभों की गणना पैरा 5.1.1, यदि लागू हो, के और उपर्युक्त पैरा 5.1.2 के अनुसार की जाएगी जिसका भुगतान एलआईसी की वार्षिकी की खरीद के द्वारा किया जाएगा तथा यह पेंशन केंद्रीकृत रूप में एलआईसी द्वारा देय होगी। पेंशन का भुगतान बीमा कंपनियों की विभिन्न शाखाओं द्वारा किए जाने का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

5.3 मृत्यु या पूर्ण रूप से स्थायी अयोज्यता (टीपीडी) के मामले में ऐसे कर्मचारी जो सेवा में हैं, के लिए उपरोक्त पैरा 5.2 के पेंशन लाभ तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा 15 वर्ष की सेवा पूरी करने की शर्त यहां लागू नहीं होगी।

5.4 <u>01.01.2007 को या इसके उपरान्त त्यागपत्र देने के कारण सेवामुक्त होने के मामले में</u>

5.4.1 सीपीएसई में नियुक्त कर्मचारी के मामले में यदि समान योजना हो तो उपरोक्त पैरा 5.1.1 एवं 5.1.2 के अनुसार संपूर्ण राशि स्थानांतरित हो जाएगी बशर्ते यह नए नियोजक द्वारा स्वीकार्य हो।

5.4.2 अन्यथा, केवल कर्मचारी द्वारा स्वयं किया गया अंशदान ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। संशोधन पूर्व की योजना अर्थात दिनांक 01.01.2007 को गेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि योजना के अंतर्गत की गई गणना के अनुसार पेंशन लागत, यदि कोई है, जैसा उपर्युक्त पैरा 5.1.1 में संदर्भित है, देय नहीं होगा।

5.5 उपरोक्त पैरा 5.1 एवं 5.4 के नियमानुसार गेल कर्मचारी जिन्हें अन्य सीपीएसई में प्रतिनियुक्त किया जाएगा एवं गेल में उनके पद को धारणाधिकार के रूप में रखा जाएगा, को भी प्रतिनियुक्ति/ धारणाधिकार की अवधि के दौरान इस योजना के सदस्य के रूप में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कर्मचारी इस निधि में राशि जमा करें जो या तो उनके नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित दर पर जमा किया जाए या विकल्पत: कर्मचारी द्वारा स्वयं जमा किया जाए।

5.6 ऐसे सदस्य जिन्हें गेल की सेवा से पदच्युत/हटा दिया गया हो या ऐसे सदस्य जो सेवा में नहीं है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। तथापि, कर्मचारी के वेतन द्वारा जमा किए गए स्वयं के अंशदान को उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा।

5.7 यदि कोई कर्मचारी 01.01.2007 के बाद किसी अन्य सीपीएसई जहां समान प्रकार की परिभाषित अंशदान योजना प्रचलन में है, से गेल में कार्यग्रहण करता है तो पूर्व नियोक्त द्वारा स्थानांतरित निधि गेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि न्यास द्वारा स्वीकार्य होगी।

5.8 यह योजना इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन के उपरांत समय-समय पर जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होगी।

6 यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है एवं यह 01.01.2007 की प्रभावी तिथि से लागू है।

(राजीव सिंघल)
कार्यकारी निदेशक (विधि एवं मा.सं.)

वितरण :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. निदेशक (बीडी)/निदेशक (विपणन)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (मा.सं.)/निदेशक (परियोजना)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
3. निगमित कार्यालय के विभागाध्यक्ष
4. कार्य केन्द्रों / ज़ोनल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी/ज़ोनल प्रभारी अधिकारी
5. कार्य केन्द्रों/ज़ोनल कार्यालयों के मा.सं. और वित्त एवं लेखा प्रभारी